

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2022—फाल्गुन 27, शक 1943

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं
कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 3 मार्च 2022

क्रमांक-486-डूडा-2022.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 1-22-2022-18-3 भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2022 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची (1) में यथा उल्लेखित क्षेत्रों को, जो उक्त अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 07 फरवरी 2022 को प्रकाशित किया जा चुका है, नगर परिषद् क्षेत्र करारपुर, जिला सागर की सीमा से अपवर्जित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 03 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा:—

अनुसूची—एक

नगर परिषद् करारपुर, जिला सागर की सीमाओं से अपवर्जित किये गये ग्राम का क्षेत्र निम्नानुसार होगा:—

क्रं.	पूर्व में सम्मिलित क्षेत्र	अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण	तहसील	अपवर्जित किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम चिट्टाई	क्षेत्र-ग्राम चिट्टाई संपूर्ण क्षेत्र	सागर	467.14

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर.

Sagar, the 3rd March 2022

No. 486-DUDA-2022.—According to the approval received from the Order number 1-22-2022-XVIII-3, Bhopal dated 25th February 2022 of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to exclude the areas as specified in Schedule-I below from the limit of municipal area of Karrapur, District-Sagar, same

having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 7th February 2022 as required by sub-section (1) of Section 5-A of the said act. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein may, within 3 days from the date of publication of this notification in give its written objection/suggestion to the District Collector Sagar, After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the State Government:—

SCHEDULE—1

The area of the Village excluded from Nagar Parishad Karrapur, District Sagar shall be as follows:—

S. No.	Name of the previous including area	Name of the excluding village area	Tehsil	Excluding Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chitai	Area-Whole area of Chitai	Sagar	467.14

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK ARYA, Collector.

सागर, दिनांक 8 मार्च 2022

क्रमांक-516-डूडा--2022.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक 1-07-2022-अठारह-3 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2022 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सागर जिले की खुरई ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये संक्रमणशील क्षेत्र को खिमलासा नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा:—

अनुसूची

नगर परिषद् खिमलासा गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम:—

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सागर	खुरई	खिमलासा	खिमलासा	खिमलासा, मालासुनेटी	2075.46
2				पथरियाजेगन	पथरियाजेगन, पथरियाबोधा, कमरपुर, सदरपुर, लमेटी.	2574.41
3				गढौलीजवाहर	गढौलीजवाहर, बुढनपुरा, इनायतपुर, मुडियाकुबेर, महाराजखेडी (वीरान).	1236.39
4				बसाहरी	बसाहरी, चमरुवा (वीरान)	3911.29
कुल . .				04	14	9797.55

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर.

Sagar, the 8th March 2022

No. 516-DUDA-2022.—According to the approval received from the Order number 1-07-2022-XVIII-3/Bhopal dated 24th February 2022 of the Madhya Pradesh Urban Development and Housing Department, Section 5(1)(a) of the Madhya Pradesh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961). In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Khurai block of Sagar district is initially notified for the formation of Khimlasa Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein, may within 15 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection/suggestion to the District Collector Sagar. After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the State Government:—

SCHEDULE

Revenue villages to be included in the formation of Municipal council Khimlasa.

No.	Distt.	Block	Name of the dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban area	Included villages	Area (in hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sagar	Khurai	Khimlasa	Khimlasa	Kimlasa, Malasuneti	2075.46
2				Patharia	Patharia Jegan, Patharia Bodha,	2574.41
3				Jegan	Kamarapur, Sadarpur, Lamethi	
				Gadhali	Gadhali Jawahar, Budanpura,	1236.39
				Jawahar	Inayatpur, Mudiyakuber,	
					Maharajkhedi (veeran)	
4				Basahari	Basahari, Chamrua (veeran)	3911.29
Total ..				04	14	9797.55

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK ARYA, Collector.

सागर, दिनांक 10 मार्च 2022

क्रमांक 536-डूडा--2022.—नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-28-2022-अठारह-3, भोपाल दिनांक 04 जनवरी 2022 द्वारा नगरपालिका परिषद् खुरई की सीमा वृद्धि होने से मध्यप्रदेश न. पा. अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा नगरपालिका परिषद् खुरई, जिला सागर के वार्डों के विस्तार हेतु नीचे अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

अनुसूची

क्र.	विभाग का नाम	पूर्व में अवधारित वार्डों की संख्या	सीमा वृद्धि उपरांत नवीन वार्डों की संख्या	कुल अवधारित वार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नगरपालिका परिषद् खुरई	27	05	32

दीपक आर्य, कलेक्टर.